न्यायालयः सिविल जज (सी०डि०) जलेसर, एटा।
उपस्थितः विकास कुमार वर्मा जे०ओ०कोड-2225 उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा
इजराय संख्या-03 सन् 2025
श्रीमती रामा देवी---बनाम-------भगवान सिंह

निस्तारण प्रार्थनापत्र 23EXC2, 26EXC2 मय आपत्ति

20-03-2026

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। विगत तिथि पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तृत रूप से सुना जा चुका है। प्रार्थनापत्र 23EXC2 धारा 151 जाप्ता दीवानी में कथन किया गया है किप्रार्थी के खिलाफ इजराय उपरोक्त विचाराधीन है। और उसमें नियत दिनांक 11-02-2026 नियत थी प्रार्थी ने उक्त इजराय के खिलाफ दफा 47 जाप्ता दीवानी मिस 31 सन् 2025 श्रीमती रामदेवी बनाम स्वरूपीदेवी उसमे भी दिनांक 11-'02-2026 नियत है। दिनाक 11-02-2026 को अगीन महोदय ने मय पुलिस बल के मौके पर जाकर विवादित्त सम्पत्ति पर मदयूनान की गैर मौजूदगी में उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था ताला लगा हुआ था। और गैर माजूगदगी में ताला तोडकर डिक्रीदार को दखल करा दिया है जबकि डिक्री एक पक्षीय रूप से डिक्रीदार ने हासिल की है दिनांक 03-12-2025 को डिक्रीदार ने 19 ईसी 2 प्रार्थनापत्र डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत किया गया था जो कि उसी दिन दिनांक 03-12-2025 को ही मंजूर कर लिया गया था अमीन महोदय ने कल दिनांक 11-02-2026 को डिक्रीदार को दखल कराया है। उक्त दखल गौके पर कराये जाने हेतु कोई परवाना दखल अमीन महोदय ने अदालत द्वारा जारी नहीं कराया है। अभीन साहव ने मौके पर मदयूनान की मेर मौजूदगी में ताला तोडकर डिक्रीदार को विवादित्त सम्पतित पर दखल अब करा दिया है। विवादित सम्पत्ति पर मदयूनान का जो जरूरी सामान रखा था मदयूनान को नहीं दिया गया और ना ही मौके पर अभीन साहव ने सामान की कोई लिरुटभी नही बनाई । मौके पर डिकीदार को दखल दिलाने के बाद टीन की चादर लगकिर लगीकर बाहर बाहरे से से बन्द करदिया है। उक्त टीन के अन्दर घुरा कर डिक्रीदार का पुत्र गौरव अमित पुत्रगण गिरधारीलाल पर भी नही जाने दे रहे हैं और नाही मदयूनान सुनील उदयवीर आदि को शामान भी नही उठाने दे रहे हैं बहुत सा सामान मौके से गायव कर दिया हैमदयूनान को उक्त सामान दिलावाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र 26EXC2 धारा 151 जाप्ता दीवानी में कथन किया गया है किइजराय 03 सन् 2024 स्वरूपी देवी बनाम भगवान सिंह उक्त वाद में प्रार्थी मदयूनान है मिस नं031 सन् 2025 श्रीमती रामदेवी बनाम स्वरूपी देवी दफा 47 सीपीसी तथा मिस 31 सन् 2025 श्रीमती रामादेवी बनाम श्रीमती स्वरूपीदेवी विचाराधीन है। उक्त पत्रावली में प्रार्थी आवेदक है। उक्त इजराय में दिनाक 03-12-2025ो डिक्रीदार की ओर से 19 ईसी2 प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि विवादित सम्पत्ति पर लगा ताला तोडकर दखल कराया जावे क्योंकि पूर्व में अमीन साहव ने दिनांक 10-11-2025 को दखल दिलाने गये किन्तु मौके पर झगडा उत्पन्न होने के कारण बिना दखल दिलाये परवाना दखल वापस कर दिया मौके पर बिना पुलिस फोर्स दखल नही हो सकता है। यह रिपोर्ट दी थी। उसके उपरान्त पुनः अमीन महोदय दिनांक 25-11-2025 को विवादित सम्पत्ति पर डिक्रीदार को दखल दिलाने गये तो विवादित सम्पत्ति पर मदयूनान का ताला लगा होने के कारण बिना दखल दिलाये परवाना दखल वापस अदालत हाजा में कर दिया डिक्रीदारान ने दिनांक 03-12-2025 को 19 ईसी 2 प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया कि विवादित सम्पत्ति मे लगा ताला तोडने की इजाजत दी जावे उक्त प्रार्थना पत्र अदालत हाजा द्वारा दिनांक 03-12-2025 को मंजूर किया और आदेश में अमीन महोदय को आदेश दिया कि मौके पर डिक्रीदारान को दखल दिलाने वाद दिनांक 17-12-2025 को आख्या प्रस्तुत करें। दिनांक 16-12-2025 को प्रार्थी ने अदालत मे समक्ष दफा 47 सी०पी०सी एवं आर्डर-9 रूल 13 सीपीसी की रेस्टोरेशन प्रस्तुत की है। इजराय में दिनांक 17-12-2025 दिनांक 08-01-2026 05-02-2026 11-02-2026,25-02-26 नियत की गयी तथा दफा 47 रूल 13 में दिनांक 08-01-2026 के बाद 19-02-2026 नियत कर दी गयी है। अदालत द्वारा दिंनाक 08-01-2026 के बाद इजराय दिनांक 05-02-2026 तथा अन्य दोनों पत्रावली दिनांक 19-02-2026 नियत कर दी गयी चूंकि इजराय 47 में भी दिनांक 05-02-

2026 करा ली गयी दिनांक 05-02-2026 को डिक्रीदारान के अधिवक्ता ने दफा 47 की कापी प्राप्त की तथा दोनों पत्रावलियों में नियत दिनांक 11-02-2026 वास्ते एतराज दफा 47 नियत कर दी गयी। इजराय में दिनांक 25-02-2026 नियत कर दी गयी। दिनांक 11-02-2026 को में प्रार्थी आउट आफ स्टेशन में था अलावा इसके दिनांक 11-02-2026 को अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो सका। अतः महोदय से प्रार्थना है कि बिना किसी अदालत के आदेश के बाबजूद दखल करा वापिस प्रार्थिया को मय सामान विवादित संपत्ति पर दिलाये जाये।

डिक्रीदार की ओर से प्रार्थनापत्र २३ EXC2 व 26EXC2 पर आपत्ति २८व ३० EXC2 दाखिल किया गया जिसमें मूलतः कथन किया गया कि न्यायालय अमीन के द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार ताला तोडकर पुलिस व गवाहन के समक्ष वादग्रस्त संपत्ति दखल दिनांक ११-०२-२०२५ को डिक्रीदार को दिलाया जा चुका है। मौके पर पुलिस के समक्ष मदयूनान एक रजाई पुरानी साइकिल दो वाल्टी तख्त इत्यादि जो विवादित संपत्ति में रखा था जो स्वंय अपने सामने अपनेनिजी मकान में ले गये। अमीन के द्वारा विवादित संपत्ति पर दखल कराया जा चुका है जो निर्णय के अनुरूप है और मदयूनान को किसी प्रकार की आपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मूलवाद संख्या ४५९/२०१० स्वरूपी देवी बनाम भगवान सिंह में २९-०३-२०२४ को एकपक्षीय रूप से प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित की गयी थी जिसमें वाद पत्र के अंत में दर्शित संपत्ति पर प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया था और वादपत्र में वर्णित संपत्ति पर वादी को दखल दिलाने हेतु निर्णय पारित किया गया था जिसके संबंध में उक्त इजराय डिक्रीदार के द्वारा योजित किया गया। दौरान इजराय प्रतिवादी भगवान सिंह की मृत्यु हो गयी और उसके वारिसान की कायमी की गयी। वारिसान न्यायालय उपस्थित आये जिनके द्वारा वकालतनामा और वाद को स्थगन हेतु प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया परंतु वारिसान के लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रार्थनापत्र वास्ते स्थगन न्यायालय के द्वारा बल न देने के कारण खारिज किया गया। न्यायालय के द्वारा अमीन परवाना निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया जिस पर अमीन के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी कि पुलिस बल की आवश्यकता है और विवादित संपत्ति पर ताला लगा हुआ है। न्यायालय के द्वारा निर्णय के अनुपालन में आवश्यक पुलिस बल ताला तोडने हेतु निर्देश पारित किये गये। अमीन के द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही की गयी और अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी जिसके अवलोकन से विदित है कि स्वरूपी देवी पत्नी स्व० गिरधारीलाल मौहल्ला महावीरगंज इन्द्रा पार्क के पास कस्बा जलेसर परगना व तहसील जलेसर जिला एटा की निवासी हूँ मैने आज दिनांक ११-०२-२०२६ को वादपत्र में वर्णित संपत्ति के.वी.एम.एल पर विधिवत रूप से अमीन दीपेश कुमार के द्वारा दखल प्राप्त कर लिया है अब मुझे दखल से संबंधित कोई शिकायत शेष नहीं है। न्यायालय के आदेश अनुपालन में डिक्रीदार अधिवक्ता को पूर्व सूचना देकर थाना जलेसर जिला एटा पहुंचा डिक्रीदार स्वरूपी देवी मिली तत्पश्चात वाद सामग्री मौ० महावीरगंज इन्द्रा पार्क में पास कस्बा जलेसर तहसील जलेसर जिला एटा मौके पर पहुंचा मुनादी कर्ता शिवा पुत्र धर्मपाल निवासी महावीरगंज इन्द्रा पार्क के पास कस्बा जलेसर तहसील जलेसर जिला एटा द्वारा आवाज बुलंद मुनादी की गयी डिक्रीदार को रूबरू गवाहान पुलिस कर्मी व स्थानीय लोगों की उपस्थित में विधिवत रूप से दखल दम्पत्ति में लगे ताले को तोडकर दिलाया गया। उक्त कमीशन रिपोर्ट पर गवाह विजेन्द्रपाल सिंह सोवरन सिंह शिवा आदि के हस्ताक्षर मौजूद हैं। डिक्रीदार की ओर से दाखिल इजराय के अनुपालन में न्यायालय अमीन के द्वारा दखल प्रश्नगत संपत्ति पर दिलाया गया। मदयूनान की ओर से प्रार्थनापत्र में जो आधार लिये गये हैं वह प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों में निरस्त किये जाने योग्य है। मदयूनान को पर्याप्त अवसर अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर दिया गया था परंतु मदयूनान के द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे यह कहा जा सके कि मदयूनान के द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र में पर्याप्त बल है इजरायवाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः मदयूनाम के द्वारा दायर प्रार्थनापत्र उक्त विवेचन के उपरांत खारिज किया जाता है। चूंकि अमीन के द्वारा निर्णय के अनुपालन में दखल प्रश्नगत संपत्ति में दिलाया जा चुका है और कोई कार्यवाही शेष नहीं है इसलिए इजराय की कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(विकास कुमार वर्मा)
सिविल जज(सी0 डि0)
जलेसर, एटा।